

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3357-NARAYANA POLYTECHNIC INSTITUTE, GANGAGANJ, PANKI, KANPUR			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN MASS COMMUNICATION	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
4	CIVIL ENGINEERING	60	60
5	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर

विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का

प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।

- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, NARAYANA POLYTECHNIC INSTITUTE, GANGAGANJ, PANKI, KANPUR



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यालय
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद
बंगलूर प्रदेश संघटक।

संख्या - प्राविण/परिषद/सम्बद्धता/2020/1971

तारीख दिनांक 15-8-2020

-कार्यालय द्वारा-

अखिल भारतीय तमनीनी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, कर्नाटी कायानिष्ठ जिला इतिहासा नई दिल्ली द्वारा वार्षिक 2020-21 हेतु वित्तीय स्तरीय जगतीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुभूत प्रदान किए जाने के प्रयत्न प्रविधिक शिक्षा परिषद, जगता संघटक से सम्बद्धता/सम्बद्धता वित्तन प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को जगता प्राविधिक शिक्षा परिषद, जगता संघटक की अधिकांक से परिषद कार्यालय से बैक संकेत हुए। बैक से कर्नाटी द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु आवणित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से कर्नाति संस्थाओं को सम्बद्धता वित्तन/जगता/प्रवेश समता वृद्धि सहित जगता नदी पर वित्तन करके हुए वर्ष 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय किया गया।

इसके अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को सं-2 में विज्ञापन इन इतिहास पाठ्यक्रम कर्नाति करने वाली नई से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रदान एका पत्र। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर विज्ञापन निर्णय किया गया -

विधी क्षेत्र में स्थापित विज्ञापन इन इतिहास पाठ्यक्रम कर्नाति करने वाली विज्ञापन कर्नाटी जगता संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, जगता संघटक से नई से सम्बद्ध हैं, में एकाईसीसीआई द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु जगता अनुभूतन विचार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में एकाईसीसीआई द्वारा प्रदान किये गये अनुभूतन विचार को अनुसार जगता नाम के अनुभूत अतिहास पाठ्यक्रम/प्रवेश समता को साथ साथ 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता वित्तन प्रदान किये जाने का निर्णय द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं एकाईसीसीआई द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु प्रदान अनुभूतन विचार को अनुक्रम में परिषद से वर्ष 2020-21 हेतु सम्बद्धता वित्तन प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

दिनांक 14-08-2020 को जगता सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये प्रयत्न विमर्श को अनुक्रम में वित्तन संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, जगता संघटक द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु विज्ञापित कर्नाटी से जगता अनुभूतन एवं जगता अतिहास प्रदान जगता हेतु सम्बद्धता वित्तन प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	वर्ष सं.	विधा का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एकाईसीसीआई/इन सं. 2020-21 में अनुभूतन प्रवेश समता	परिषद द्वारा सं. 2020-21 में अनुभूतन प्रवेश समता
1	2021	संघटक कर्नाटिका इकाईयुटे संघटक, जगता (क)	कैरिबी विज्ञापन जगता/एक नाम सम्बद्धता/विमर्श इतिहास इतिहास इतिहास इतिहास इतिहास इतिहास	60	60
			इतिहास इतिहास इतिहास	60	60
			विमर्श इतिहास इतिहास	60	60
			विमर्श इतिहास इतिहास	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ जगता एकाईसीसीआई/विमर्श इतिहास द्वारा विमर्श की गयी शर्तें का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ जगता जगता प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं जगता जगता प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनों 2020, कैरिबी विमर्श इतिहास-2020 तथा अन्य विमर्श विमर्श एवं जगता अनुभूतन करके साथ सुक विमर्श समिति द्वारा विमर्श इतिहास-तीन वर्षीय इतिहास पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 50,00,00,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कर्नाटी पाठ्यक्रम हेतु ₹ 40,00,00,00/- प्रतिवर्ष एवं एक नाम से वर्षीय जगता/विमर्श (दो वर्षीय जगता पाठ्यक्रम को कर्नाटी) हेतु ₹ 22,50,00,00 प्रतिवर्ष इतिहास ही प्रदान करेगा/करके से प्राप्त किया जाएगा। जगता को कर्नाटी जगता/जगता से सुक को जगता से जगता-जगता पर जगता द्वारा निर्णय किये जाने वाले जगता/विमर्श प्रवृत्ति करें और अनुभूत

अपेक्षाही किया जलम-स्वतंत्रक होगा। एकी निर्वाचन समिति द्वारा भविष्य वर्ष 2020-21 हेतु बीस का पुनर्विचारण किया जात है, तां बीस की नवीनतम रहे जायुं होगी।

- ✓ सभा को (अथवा प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा अन्य समितियों, संस्थाओं को संबद्ध किया जाय) विनिर्मातृ-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ सभा में समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आदर्श कक्षाओं की भी प्रवेश किया जाएगा। शीघ्र ही शिक्षा या जाने की स्थिति में अंतर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की अपेक्षाओं की जाएगी।
- ✓ सभा की समस्त-समस्त इन निर्दिष्ट अनुसूचितों को अनुसूचित शिक्षा एवं सम्बद्ध सूक्त जलम करने होगी।
- ✓ सभा की एडमिनिस्ट्रेशन/पीसीआर/से अगली-सम हेतु अनुदानन प्राप्त किया जाय अपेक्षक होगा।
- ✓ समस्त अंतर प्रदेश शासन द्वारा कराये गये विभिन्न/विधायी/अभियन्तरी/साधक/विद्यार्थी/निर्देशा एवं विदेशक, प्राथमिक शिक्षा, प्रथम समुदाय प्रवेश परीक्षा परीक्षा, अथवा तथा प्राथमिक शिक्षा समिति, विदेशक द्वारा कराये गये शिक्षा, विनिर्मातृ, जायकारी, विदेशको का गणना करने में सिधे पास होगी।
- ✓ विदेशको इन कार्यों का अनुपालन की अपेक्षाएँ यदि बीसीआई, एवं दिल्ली से अनुदानन प्राप्त करने में अभावतः उदाती है तो इस सभा में समस्त अंतरादेशिक संस्था का जेना-ही विदेशक एवं ही किसी भी अपेक्षाओं के लिए संस्था अंतः अंतरादेशी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परीक्षा, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग समस्त प्रदेश शासन को कोई चरम साधन प्राप्त है तथा अंतर-वर्ष के संस्था में का, अपातनक द्वारा किसी प्रवेश की परिपूर्ति-संस्था अंतर प्रदेश निर्देशक किया जात है तो सभा प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विदेशको इन कार्यों का अनुपालन संयोजित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा, अंतर प्रदेश अंतरादेशक द्वारा प्राथमिक एवं ही लिए अपेक्षित प्रवेश परीक्षा हेतु अपेक्षित/विदेशक प्राप्त होने के पूर्व पीसीआर/से अनुमीरण प्राप्त कर प्राथमिक अपातनक को अंतरादेशक करण होगा अतया करने शीघ्र ही (अंतरादेशिक को प्राथमिक को अपेक्षा संस्था स्तर पर भी अथवा अथवा) अनुसूचित शर्तों द्वारा की जाएगी।
- ✓ अंतर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट नवीनतम अंतरादेशिक विदेशको का अनुपालन करना अपेक्षक होगा।
- ✓ संस्था को अपने अंतरादेशक एवं संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की वित्तीय/प्राथमिक, अंतरादेशिक, अंतरादेशिक, अंतरादेशिक, प्राप्त किया जाय तथा सूक्त अपातनक सूक्त अंतरादेशिक का विदेशक अंतरादेशक करण होगा।
- ✓ संस्था की विदेशक-अंतरादेशिक हेतु अपेक्षित अपातनक अपेक्षक करने के साथ निर्दिष्ट करने के अभाव में अंतरादेशिक अपेक्षक अपातनक सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ सभा का सुनिश्चित ही है कि संस्था में अंतरादेशिक/अंतरादेशिक अनुपालन की करनी, जाने हेतु निर्देशक समिति की समस्त अपेक्षक करने गरी अंतरादेशिक, सुनिश्चित, अंतरादेशिक, अंतरादेशिक अंतरादेशिक का समि संस्था द्वारा किसी अंतरादेशिक को अंतरादेशिक में अंतरादेशिक किया जाता है और अंतरादेशिक को अंतरादेशिक करनी होगी है कि संस्था अंतरादेशिक का अंतरादेशिक करने कार्य के लिए कर नहीं है तो अंतरादेशिक अंतरादेशिक की अपेक्षाएँ संयोजित करने जाय की अनुसूचित की जाएगी।
- ✓ समुदाय शर्तों का अनुपालन न करने करने अथवा करने का अंतरादेशिक विदेशको करने की स्थिति में निर्देशक/अंतरादेशिक अनुपालन/अंतरादेशिक की जाएगी।

(अथवा अंतरादेशिक विदेशको)
समिति

सूचना- प्राथमिक/परिषद संस्था/2020/ 1973-2021

दिनांक 19-08-2020

प्राथमिक-अंतरादेशिक/परिषद, अंतरादेशिक प्राथमिक/परिषद अंतरादेशिक, दिल्ली, अंतरादेशिक

(अथवा अंतरादेशिक विदेशको)
समिति

